

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 01 जनवरी, 2009 (पौष 11, 1930)

क्रमांक - 3.2./वि.स./विधान/2009 - राज्यपाल महोदय का निम्नलिखित आदेश.
दिनांक 31 दिसम्बर, 2008 सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है -

"संविधान के अनुच्छेद 188 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, ई.एस.एल. नरसिम्हन, छत्तीसगढ़ का राज्यपाल, श्री बोधराम कंवर, सदस्य, छत्तीसगढ़ विधानसभा को ऐसे व्यक्ति के रूप में नियुक्त करता हूँ, जिसके समक्ष छत्तीसगढ़ विधान सभा के सदस्य शपथ ले सकेंगे या प्रतिज्ञान कर सकेंगे।

अध्यक्ष का निर्वाचन होने के उपरांत निर्वाचित अध्यक्ष तथा उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष और यदि उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त हो तथा सत्र की बैठक चल रही हो, तब ऐसे व्यक्ति को जो संविधान के अनुच्छेद 180 (2) के अधीन सभा की कार्यवाही का संचालन कर रहा हो, को ऐसा व्यक्ति नियुक्त करता हूँ, जिसके समक्ष विधान सभा के सदस्य उक्त अनुच्छेद के अन्तर्गत शपथ ले सकेंगे या प्रतिज्ञान कर सकेंगे।

रायपुर,
दिनांक - 31 दिसम्बर, 2008.


ई.एस.एल.नरसिम्हन
राज्यपाल, छत्तीसगढ़."

हस्ता/-
(देवेन्द्र वर्मा)
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

क्रमांक- 3.3./वि.स./विधान/2009 रायपुर-492005 दिनांक 1.. जनवरी, 2009

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. भारत माननीय सदस्य, छत्तीसगढ़ विधान सभा.
2. समस्त माननीय सदस्य, छत्तीसगढ़.
3. छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य सचिव, समस्त ज्वर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव एवं सचिव, रायपुर.
4. महासचिव राज्यपाल के सचिव, रायपुर.
5. समस्त मंत्रियों, संसदीय दलों के निज सचिव.
6. महासेवाधर (ऑफिस) तथा महासेवाधर (लेखा एवं हकदार), छत्तीसगढ़, रायपुर.
7. मुख्य निर्वाचन परामर्शदाता, छत्तीसगढ़.
8. महासचिव, सचय स्वायत्त विभागायुक्त.
9. समस्त संसदीय आयुक्त / समस्त डिप्टी सीक्रेटरी / समस्त ज्वर पुत्रिय अधिकारी / पुलिस अधीक्षक, छत्तीसगढ़.
10. समस्त विभागप्रमुख, छत्तीसगढ़.
11. छत्तीसगढ़ शासन सचिवालय के समस्त विभाग, रायपुर.
12. कार्यपालन अधिपति (भाषा तथा सड़क) एवं (मिहूत कारिणी) लोक निर्माण विभाग, विधान सभा संभल, रायपुर.
13. कन्द निदेशक अकादमिकी, रायपुर.
14. कन्द निदेशक, दुर्गदर्शन, रायपुर.
15. आयुक्त/संचालक जनसम्पर्क संचालनालय, छत्तीसगढ़, रायपुर.
16. महासचिव, लोक सभा, नई दिल्ली.
17. महासचिव, राज्य सभा, नई दिल्ली.
18. भारत के समस्त विधान मंडलों के प्रमुख सचिव/सचिव.
19. सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली- 110001.
20. सचिव, भारत सरकार, विधि मंत्रालय, नई दिल्ली.
21. सचिव, भारत सरकार, संसदीय कार्य विभाग, 90, संसद भवन, नई दिल्ली.
22. सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली.
23. सचिव, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी/बहुजन समाज पार्टी, रायपुर.
24. छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय की समस्त शाखा.


(देवेन्द्र वर्मा)
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.